रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1988/आश्विन 5, 1910
No. 509] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1988/ASHVINA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

सा का.नि. 952 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (डिस्ट्रेंट अथवा एरस्ट वैसल का विक्रय) विनियम, 1988 को अनुमोदित करती है जिसका प्रकाशन आंध्र प्रदेश के राजपत्र में 14 जुलाई, 1988 और 21 जुलाई, 1988 को हुआ था और जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित है।

[फा.सं.पी.आर. 16012/4/7-पीजी]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

शिडयूल

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) की धारा 123 से धारा 53 व धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति और उपरोक्त अधिनियम की धारा 124 के अपेक्षानुसार आंध्र प्रदेश गजेट में पूर्व प्रकाशित करने की शर्तें पर विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित विनियम बनाती है।

1. लघु शीर्ष और आरम्भ :

(1) इन विनियमों को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (डिस्ट्रेंट अथवा एरस्ट वेसल का विक्रय) विनियम 1988 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजेट में केन्द्र सरकार से अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति :

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा उसके अधीन बने किसी भी विनियमों या आदेशों के अंतर्गत किसी दर अथवा जुर्माना इत्यादि के बारे में ये विनियम सभी जलयानों पर लागू होंगे।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में जबतक प्रसंग अन्य प्रकार से अपेक्षित हों।

(1) 'अधिनियम' माने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (38 का 1963) है।

(2) 'प्राधिकृत एजेंट' माने कोई भी एजेंट जो मास्टर/मालिक/चार्टर और स्टीमर एजेंट/शिपिंग एजेंट और निकासी और अग्रणीय एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(3) 'यातायात प्रबन्धक' माने तत्समय के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, यातायात विभाग के प्रभारी है और यातायात प्रबन्धक के उप अधिकारी और सहायक और यातायात प्रबन्धक प्राधिकार के अधीन कार्यरत कोई भी अधिकारी है।

(4) 'फार्म' माने, इन विनियमों को अनुलग्न किया गया, फार्म है।

(5) 'मास्टर" माने जलयान का मास्टर ।

(6) 'दर' माने अधिनियम के अंतर्गत देय रकम, प्रभार अथवा जुर्माना ।

(7) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यंजन परन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं करने वाला या अधिनियम में परिभाषा देने वाले शब्दों का अर्थ नहीं होगा जो क्रमशः अधिनियम में उल्लेख किए गए हैं।

4. जलयानों का जब्त अथवा गिरफ्तार करना :

यदि, कोई जलयान दरों को नहीं चुकाकर पोर्ट में पड़ा है तो, उस अपराधित जलयान का मास्टर अथवा प्राधिकृत एजेंट पर यातायात प्रबंधक द्वारा फार्म 1 में दरो को, मांगे गए उपरोक्त मांगपत्र जारी करने के 7 दिनों के अंदर सभी दरों को चुकाना होगा।

2. इसी रिमांड के साथ दरों के पूरे विवरण बिल की प्रति भी लगाया जाएगा जो तत्संबंधित जलयान के मालिक/एजेन्ट (एस) के नाम पर 'रेज' किया जाएगा जो बोर्ड को अब भी अदायगी करनी है।

3. उपरोक्त डिमांड, मास्टर /प्राधिकृत एजेन्ट (एस) को दिया जाएगा और उनको उपलब्ध न होने पर इस डिमांड नोटिस को "फ्रिज फ्रंट ब्लक हैड" पर अथवा जलयान के अन्य किसी भी भाग पर जहां स्पष्ट रूप से दीख पड़े, वहां लगाया जाएगा और उसे जलयान के मास्टर या प्राधिकृत एजेंट को डिमांड जारी किए गए के रूप में माना जाएगा ।

4. जलयान के मालिक/प्राधिकृत एजेन्ट (एस) यदि दरों को या उस प्रकार के किसी अंश को डिमांड में निर्दिष्ट समय की सीमा के अन्दर में इन्कार करता है अथवा उसके बारे में उपेक्षा करता तो बोर्ड को ही जलयान के प्राधिकृत एजेंट (एस) के जमा में से अथवा उनको देने वाले किसी अन्य रकम में से जो उस रकम को समायोजित किया जाएगा। आगे बोर्ड ऐसे जलयानों को तब तक जब्त अथवा गिरफ्तार भी करवा सकता है और उसके टैकल, अपरेल, फर्नीचरों के सामानों को अथवा उससे संबंधित किसी अन्य भाग को बोर्ड की रकम चुकाने तक रुकवा सकता है। साथ-साथ जलयान जब्त या गिरफ्तारी के दौरान ऐसे किसी भी अवधि के लिए बढ़ने वाले रकम को भी इस प्रकार के जलयानों से ही वसूल कर सकता है।

5. दोषपूर्ण जलयान को जब्त करने/गिरफ्तार करने के मामले में यातायात प्रबन्धक फार्म- II में स्पष्ट रूप से देय रकम को निर्देशित करते हुए और यह भी सूचित करेगा कि उपरोक्त देय बोर्ड को चुकाने तक माने बढ़ गये दरों के साथ तथा बोर्ड के पूरी तसल्ली के साथ मूल्य चुकाने तक जलयान को जब्त या गिरफ्तार ही रखा जाएगा ।

6. (क) गिरफ्तारी के वारंट को जलयान के मालिक अथवा प्राधिकृत एजेन्ट्स (एस) को दिया जाएगा और उसकी एक प्रति "फ्रिज फ्रंट ब्लक हैण्ड" पर अथवा स्पस्ट रूप से दिखाने वाले जलयान के किसी भी भाग पर चिपकाया जाएगा ।

अथवा

(ख) यदि किसी कारण से मास्टर अथवा प्राधिकृत एजेंट (एस) उपलब्ध नहीं है या अथवा वारंट लेने को टाल रहे हैं तो ऐसे हालत में जलयान के 'फ्रिज फ्रंट' ब्लक हैण्ड" पर वारंट चिपकाना ही मास्टर /प्राधिकृत एजेंट (एस) को वारंट जारी किए गए के रूप में माना जाएगा ।

7. यदि जलयान को जब्ती/गिरफ्तारी या उनके रख लेने के उपरान्त उपरोक्त दर या मूल्य जलयान के मालिक/प्राधिकृत एजेंटस (एस) द्वारा जब्ती/गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों की अवधि के अंदर बोर्ड को पूर्ण रूप में नहीं चुकाए तो बोर्ड जब्त/गिरफ्तार किए गए जलयान को बेच सकता है।

8. किसी प्रकार के आदेश पर जब्त या गिरफ्तार किया गया जलयान, विदेश जलयान होने पर, इसकी सूचना 'फ्लाग कन्ट्री' के दूतावास और भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय को देना होगा।

5. जब्त अथवा गिरफ्तार किए गए जलयान की बिक्री

1. जब्त जलयान को बेचने के लिए यातायात प्रबन्धक की अनुमोदित सर्वेयरों के साथ रिजर्व बिक्री मूल्य का निर्धारण करने के लिए, मूल्यांकन करेगा।

2. जलयान को रखने और टैकल, अपेरेल और उनके फर्नीचर बेचने या बिक्री करने से पहले यातायात प्रबन्धक से नौवहन के महा निदेशक से अनुमति लेनी होगी ।

3. सामानों की बिक्री सामान विक्रय अधिनियम, 1930 की व्यवस्था के मुताबिक और टेंडर नोटिस के निर्दिष्ट शर्त और नियमों के आधार पर होगा ।

4. प्रेस विज्ञापन द्वारा प्रत्याशी खरीददार से, मुहरबंद टेंडरों का निर्मंत्रण फार्म 3 में किया जाएगा और इसके बारे में कम से कम चार अग्र समाचार पत्रों में हिन्दी सहित और एक क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्र में, टेंडर प्राप्ति की अंतिम तारीख का निर्देश करते हुए प्रकाशित करना होगा।

5. क्रय नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त प्रत्याशी विक्रय कर्ताओं को यातायात प्रबन्धक से विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जलयान निरीक्षण करने के लिए निश्चित रूप से अनुमति दी जायगी, जब एक बार वे उस जलयान का निरीक्षण कर लेंगे तो यह समझा जाएगा कि उन्हें जलयान की अवस्था और स्थिति की पूरी जानकारी है और इस मामले में किसी प्रकार के क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6. हर निविदा के साथ बयाना-जमा बैंक के साथ संलग्न होनी चाहिए जो यातायात प्रबन्धक से निश्चित किया जाएगा । भुगतान किसी अन्य रीति से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

7. नियत तारीख और समय के उपरान्त प्राप्त निविदा को संक्षेपतः, अस्वीकार किया जाएगा ।

8. मुहरबंद निविदाओं को निविदा प्रस्तुत करने वाले टेंडरों के समक्ष में यातायात प्रबन्धक द्वारा निविदा खोलने के लिए निर्दिष्ट तारीख और समय पर ही खोले जायेंगे और यदि कोई टेंडरर उस समय वहां उपस्थित नहीं हो तो उस टेंडर के कारण बताकर निविदा को खोलने के बगैर ही संक्षेपता अस्वीकार किया जाएगा ।

9. उच्चतम कोटेड टेंडरर को टेंडर के 25% रकम, टेंडर खोलने की तारीख पर टेंडर मूल्यांकन के बाद जमा करना होगा, नहीं तो उनके द्वारा भुगतान किए गए ई एम डी को छोड़ दिया जाएगा और उनके टेंडर को अस्वीकार किया जाएगा ।

10. नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना सफल टेंडरों को दी जाएगा ।

11. टेंडर की प्रस्तुत रकम में से 25% रकम टेंडर स्वीकृति तारीख से पांच दिनों के अंदर चुकाना होगा और बाकी रकम उस तारीख से लेकर 15 दिनों के अंदर चुकाना होगा । टेंडर मूल्य से अन्यथा टेंडर को यातायात प्रबंधक द्वारा निश्चित किए गए मूल्य को सुरक्षा जमा के रूप में जमा करना होगा । जो सफलतापूर्वक क्रय हो जाने के बाद तीन महीनों की अवधि के अंदर वापस कर दिया जाएगा । जो भी हो, इस प्रकार के जमा पर पोर्ट किसी प्रकार का सूद नहीं देगा ।

12. टेंडर स्वीकृति की तारीख से पांच दिनों के अंदर 25% की बिड रकम नहीं चुकाई गई तो विक्रय, वरना जब तक आदेश दी गई हो, अपने आप रद्द हो जाएगा और पहले से जमा की गई रकम को अपहृत माना जाएगा और जिसका टेंडर स्वीकार किया गया है उसके जोखिम पर जलयान को पुनः बेच दिया जाएगा । इस मामले में यातायात प्रबंधक का आदेश ही अंतिम माना जाएगा और इसमें संबंधित सब दल इस पर बाध्यकारी है ।

13. विक्रय परिदान आदेश जारी करने की तारीख से लेकर 30 दिनों के अंदर यदि किसी कारणवश जलयान को बंदरगाह से नहीं हटाया जाए तो पोर्ट वेतन-दरों के अनुसार सामान्य प्रभार से दुगुना प्रभार वसूल किया जाएगा ।

14. जलयान विक्रयकर्ता (पोर्ट के सभी देयों को चुकाने के बाद यदि विक्रय परिदान आदेश जारी करने के बाद 60 दिनों के अंदर भी जलयान के जाने पर यातायात प्रबंधक को उपरोक्त जलयान को पुनः बेचने का अधिकारी होगा और इसके बारे में विक्रयकर्ता को कुछ पूछने का अधिकार नहीं होगा ।

15. किसी भी परिस्थितियों में विक्रयकर्ता बंदरगाह के अंदर या पोर्ट सीमा के अंदर जहाज को विखंडन अथवा तोड़ नहीं सकता, वरना उसे ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी गई हो और बताए गए अनुमति की शर्तें विक्रयकर्ता पर बंध हो ।

6. जलयान खरीददार की देयताएं

1. टेंडर स्वीकृति की तारीख से सभी दरें ग्राहक के लेखों में ही होंगी ।

2. टेंडर स्वीकृति पर ग्राहक को पोर्ट के साथ यातायात प्रबंधक द्वारा अनुमानित 60 दिनों के आमुक अवधि के पोर्ट दरों को जमा करना होगा ।

3. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर, इत्यादि खरीददार के लेखे के अनुसार लागू होंगे, ऐसे शुल्क और करों को तत्संबंधित प्राधिकारों को चुकाना होगा और पोर्ट द्वारा जलयान निकासी की मंजूरी देने के पहले ऐसे भुगतान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।

4(क) टेंडर की स्वीकृति होने के उपरान्त ही, ग्राहक को एक प्रमाणिक मास्टर प्रमाणित अधिकारी और प्रमाण प्राप्त इंजीनियरों से समुचित कर्मीदल सहित जलयान बंदरगाह के अन्दर रहने के दौरान उसकी देखभाल और अनुरक्षण के लिए पूर्ण प्रबंध करना चाहिए ।

(ख) यदि जलयान की देखभाल और अनुरक्षण करने में ग्राहक समुचित प्रबंध नहीं कर सके तो ऐसी अवस्था में पोर्ट प्राधिकार भाड़े के रूप में समुचित व्यक्तियों को इस कार्य के लिए व्यवस्थित करेगा और इसके प्रति जो खर्चा किया गया उन सब को ग्राहक से वसूली करेगा ।

7. विक्रयागम की अनिवार्यता

1. इस विनियमों के अंतर्गत किए गए प्रत्येक बिक्री के आगम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 63 में निर्धारित रीतियों के अनुसार लागू होंगे ।

2. किसी मामले में यदि बोर्ड की दरों के अनुसार बिक्री आगम पूर्ण रूप से प्राप्त करने में कमी हो तो बोर्ड उक्त घाटा रकम को चाहे उसी मालिक का किसी अन्य जलयान को जब्त करके वसूल करने का अधिकार है और इस विनियम में अनुबद्ध रीति से मुताबिक ही वसूल करेगा या ऐसा न होने पर बोर्ड, इसे महापत्तन न्यास अधिनियम 1963, की धारा 131 के अधीन अथवा किसी अन्य रीति से वसूल करेगा ।

8. निर्वचन :

किसी हालत में यदि इन विनियमों के किसी उपबंध में किसी प्रकार की शंका हो तो उसे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को विचारार्थ भेजा जाएगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा और पार्टी पर बाध्य भी होगा ।

वै. पालसारथी
सचिव
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

विशाखापत्तनम
ता.

फार्म 1

[विनियम 4(1) देखें]

सेवा में,

मास्टर प्राधिकृत एजेंट

एम वी/एस एस

विषय : दरों की गैर अदायगी—तत्काल भुगतान के लिए मांग नोटिस का निर्गम ।

महोदय,

कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दीजिए । आप से अनुरोध किया जाता है कि .....तारीख तक के रुपए .....महापत्तन न्यास अधिनियम 1963/विनियम उपबंध के अधीन अथवा उसके अधीन बने आदेशों के अनुसार निम्नलिखित दरें पोर्ट को ..... पहले भुगतान करें

1. .....2. .....3. .....

परन्तु जलयान के मास्टर अथवा एजेंट होने के नाते पोर्ट उपरोक्त मांग के दरों के अनुसार फरेट के दरों को भुगतान करने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है

वि. ..... पर ..... रु. की रकम आपके कमान्ड के जलयान द्वारा देय है

2. इसके साथ आपको नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर भुगतान करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के उपबंध/या उनके अधीन बनाए गए विनियमों के आधार पर जलयान को जब्त/गिरफ्तार किया जाएगा और उनके टैकल, फर्नीचर, अप्रेल अथवा उनके किसी भी भाग को या उन्हीं को तब तक रोक लिया जाएगा जब तक कि बोर्ड को भुगतान न चुकाया जाए और साथ में इस जलयान के जब्ती या गिरफ्तारी अवधि के दौरान हुए आगे की रकम को भी अदायगी करनी होगी

भवदीय,

यातायात प्रबंधक

प्रतिलिपि : मैसर्ज/एम बी के मालिक

फार्म-II

[विनियम 4(5) को देखें]

सेवा में,

मास्टर/प्राधिकृत एजेंट (एस)

एम वी/एस बी

विषय : नौवहन-- दरों की गैर अदायगी--जब्ती आदेश का निर्गम

संदर्भ: मेरे वि.....के समसंबंधक पत्र सं.

महोदय,

कृपया मेरे संदर्भ पत्र पर ध्यान दीजिए । आपसे वि.....पर अनुरोध किया गए कि विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट दरों के प्रति रुपयों को ..... ता ..... के पहले अदायगी की जाए। जलयान के मास्टर या एजेंट के रूप में वि.....पर मांगे गए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के देयों को अब तक आप से नहीं चुकाया गया। आपको यह सूचित किया जा रहा है कि वि.....तक के दरों के प्रति आपको अधीन के जलयान से .....रु. को भुगतान बाकी है:

विशाखापत्तनम बंदर को चुकाने वाले उपरोक्त दरों को गैर अदायगी को ध्यान में रखते हुए, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 और अथवा उसमें निर्मित विनियमों की व्यवस्था के अधीन दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहां आदेश जारी करता हूं कि एम वी ..... जब्त किया गया है और उसे तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि विशाखापत्तनम बोर्ड को देने वाले रकम और साथ में ऐसे जलयान के जब्ती और रोकने से किसी भी अवधि के दौरान होने वाले रकम को भुगतान नहीं किया जाता है।

कृपया यह भी नोट कर लें कि यदि उपरोक्त रकम और जब्ती की लागत, जब्ती आदेश जारी करने के (यथा).....के 5 दिनों में नहीं चुकाया गया तो मुझे उल्लिखित अधिनियम या उनमें बने विनियम में धारा 64 के अधीन प्राप्त अधिकारों के जरिए उपरोक्त जलयान को बेचना पड़ेगा और विक्रय आय बोर्ड को देने वाले प्रभारों से जलयान विक्रय लागत सहित समायोजित किया जाएगा।

भवदीय,

प्रतिलिपि--मैसर्ज एम बी के मालिक

यातायात प्रबंधक

फार्म-III

[विनियम 5(4) को देखें]

विज्ञापन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने आशय ग्राहकों (एस) से जैसा है उसी हालत में जलयान एम वी..... जो बिक्री के लिए मुहरबंद निविदाओं को आमंत्रित करते हैं।

2. जलयान के संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

जलयान का नाम	.....
बनाने का वर्ष	.....
जी आर टी	.....
एन आर टी	.....
लम्बाई	.....
चौड़ाई	.....
गहराई	.....
कुल भार	.....
वर्गीकरण	.....
इंजन	.....
बी एच पी	.....
एल बी टी	.....
बनाने का वर्ष	.....
यार्ड	.....

3. .....पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रबंधक के नाम पर दोहरे सील वाले कवर्स जो बयाना जमा सहित रु.....(रुपए) .....बैंक ड्राफ्ट अदायगी.....के नाम .....दिनांक.....पर.....के पहले आमंत्रित किया जाता है। टेंडरकर्त्ता को लिफाफे पर ऊपर की ओर "एम वी".....खरीदने के लिए टेंडर लिखना होगा।

4. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त सभी टेंडरों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. जलयान खरीदने के मुहरबंद टेंडरों को .....पर विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रबंधक के समक्ष में खोला जाएगा। सफल टेंडरर को ही स्वीकृति की सूचना दी जाएगी।

6. सफल टेंडरर को निविदा तारीख पर 25% का बिड रकम की अदायगी करनी होगी और 25% रकम टेंडर स्वीकृति की तारीख से पांच दिनों के अंदर चुकाना होगा और बाकी रकम 15 दिनों के अंदर देना होगा। बैंक गारंटी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेंडर स्वीकृति की तारीख से 5 दिनों के अंदर 25% बिड रकम यदि नहीं चुकाया गया तो विक्रय सब तक कि अन्यथा आदेश स्वभावतः रद्द कर दिया जाएगा और पहले ही जमा की गई रुपए यथा रु. ..... को जब्त कर लिया जाएगा और जिस का टेंडर स्वीकार किया गया है उस टेंडरर लागत की जोखिम पर जहाज को पुनः बेच दिया जाएगा। विक्रय विचार के शेष रकम यदि उपरोक्त समय में 15 दिनों के अंदर नहीं भुगतान किया

गया तो बिक्री स्वभावतः रद्द हो जाएगी और जमा की गई रकम यथा रु. ..... जब्त कर लिया जाएगा। पहले ही दिया जा चुका 50% रकम को किसी प्रकार की कमी को पूरी करने या पुनः बिक्री से उत्पन्न अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए रोक लिया जाएगा।

7. सीमाशुल्क, उत्पाद और आयात शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर इत्यादि तथा ग्राहक लेखा पर लागू होंगे।

8. टेंडरों को विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रबंधक के कार्यालय में उनके समक्ष ..... पर ..... बजे खोले जाएंगे और किसी भी टेंडर का स्वीकृति विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के यातायात प्रबंधक के इच्छा मात्रा से ही होगा।

9. जहाज बिक्री हो जाने के 30 दिनों के अंदर विशाखापत्तनम बंदरगाह से उसे हटा देना चाहिए। इस अवधि के दौरान प्रमाणित मास्टर, प्रमाणित अधिकारी और प्रमाणित इंजीनियरों द्वारा तथा समुचित कर्मादल द्वारा जहाज का निगरानी करना चाहिए। ये प्रबंध ग्राहक को ही करना होगा।

10. ग्राहक को जलयान बिक्री की तारीख से उस जलयान को बंदरगाह से हटाने की वास्तविक तारीख तक के सभी दरों को महापत्तन न्यास विनियम, 1989 (जब्त या गिरफ्तार और जलयान बिक्री) के मुताबिक चुकाना होगा।

11. किसी भी हालत में ग्राहकों को बंदरगाह के भीतर या पोर्ट सीमा के अंदर जहाज (पोत) को हटा लेने की अनुमति नहीं है जब तक कि ऐसा करने के लिए विशेष रूप से आज्ञा दी गई हो।

12. जहाज (पोत) जो ..... पर पड़ा है, उसका निरीक्षण पहले निर्धारित से यातायात प्रबंधक द्वारा ..... से ..... तक किया जाए और निरीक्षण में यह विश्वास किया जाए कि जो पार्टी निरीक्षण किए हैं उन्हें जलयान के बारे में पूरा जानकारी है।

13. यातायात प्रबंधक को किसी या सभी टेंडरों को बिना किसी कारण बता अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है।

यातायात प्रबंधक
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 27th September, 1988.

NOTIFICATION

G.S.R. 952(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve Visakhapatnam Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees of Visakhapatnam Port, in exercise of powers conferred on them by Section 123 of the said Act and published in the Andhra Pradesh Gazette dated 14th July, 1988 and 21st July, 1988 as detailed in the schedule annexed to this notification.

[F.No.PR-16012/4/88-PG]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 53 and Section 64 read with Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act, 38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following Regulations, subject to the approval of the Central Government and the same having been pre-published in the Andhra Pradesh Gazette as required under Section 124 of the said Act, namely:

1. Short title and commencement:

(1) These regulation may be called the Visakhapatnam Port Trust (Distraint or Arrest and sale of Vessels) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Official Gazette.

2. Application:

These Regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates charges or penalties etc., are payable under the Major Port Trusts Act, 1963 or under any regulations or orders made thereunder.

3. Definitions:

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(i) "ACT" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

(ii) "Authorised Agent" means any agent appointed by the Master/Owner/Charterer and includes Steamer Agent, Shipping Agent and clearing and forwarding agent.

(iii) "Traffic Manager" means the Officer for the time being in charge of the Traffic Department, Visakhapatnam Port Trust and includes the Deputies and Assistants to the Traffic Manager and any other Officers acting under the authority of the Traffic Manager.

(iv) "Form" means the form annexed to these Regulations.

(v) "Master" means Master of the Vessel.

(vi) "rates" means the rates/charges or penalties payable under the Act.

(vii) Words and expressions used in these Regulations but not defined and defined in the Act shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

4. Distraint or arrest of Vessels:

1. Where any vessel in respect of which the rates have not been paid is lying at the Port, a demand in Form-I shall be made by the Traffic Manager upon the Master or the authorised Agent(s) of the defaulting vessel requiring to pay all the rates within a period of seven days from the date of issue of the said demand.

2. The same demand shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of rates which were raised against the owner or agent(s) of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.

3. The said demand shall be served upon the Master/authorised agent(s) and in the event of non-availability of them, the affixing of the demand notice on the Bridge front Bulk head or any other conspicuous part of the vessel shall be deemed as service of the demand upon the Master or the authorised agent(s) of the vessel.

4. If the Master or the authorised agent(s) of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon them, the Board may adjust the amount due to the Board from out of the deposit account of the authorised agent(s) of the vessel or from any other amounts payable to them by the Board. Further the Board may also proceed to distrain or arrest such vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

5. In order to distrain or arrest the defaulting vessel, the Traffic Manager shall issue a warrant o arrest in Form II clearly specifying the amount due and indicating that the distraint or arrest shall continue until the amount so due to the Board together with further accrual of rates and costs are paid towards full satisfaction of the Board.

6. (a) The warrant of arrest shall be served upon the Master or the authorised agent(s) of the vessel and a copy thereof shall also be affixed on the Bridge Front Bulk head or any other conspicuous part of the vessel.

(or)

(b) In cases where the Master or the authorised Agent(s) is not available or avoids service of the warrant, the fixing of the copy of the warrant on the Bridge front Bulk head of the vessel shall be deemed as service of the warrant upon the Master/authorised Agent(s).

7. If the said rates or costs of the distraint or arrest of the vessel or of keeping of the same are not paid by the owner or master or authorised Agent(s) of the vessel towards full satisfaction of the Board within a period of five days next after the distress or arrest has been made, the Board shall cause the vessel or other things so distrained or arrested to be sold.

8. In the case of a foreign vessel placed under distraint or arrest by any order, the Embassy of the Flag Country and the Government of India in the Ministry of Surface Transport shall also be informed.

5. Sale of distrained or arrested vessel:—

1. The Traffic Manager shall have a valuation survey of the vessel carried out by approved Surveyors to ascertain the reserve sale price of the distrained vessel.

2. The Traffic Manager shall obtain the permission of the Director General of Shipping before putting the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, to sale.

3. The sale shall be held in accordance with the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and also in terms of the conditions of sale as per Tender Notice.

4. Sealed tenders shall be invited from the prospective buyers through press advertisement, as in Form III at least in four leading Newspapers, including Hindi and one regional language daily, specifying the last date for the receipt of tenders.

5. The prospective buyers shall be permitted in writing to inspect the vessel after the sale notice is published in the Press, during a specified period which shall be fixed by the Traffic Manager, when once they inspected the vessel it shall be deemed that they have full knowledge about the position and condition of the vessel and no claim whatsoever shall be entertained on this account.

6. Each tender shall be accompanied by an earnest money deposit, to be paid by bank draft,

to be fixed by the Traffic Manager in each case. No other mode of payment shall be accepted.

7. The tenders received after the due date and time, shall be summarily rejected.

8. The sealed tenders shall be opened in the presence of tenderers present on the date and time fixed by the Traffic Manager for opening the tenders and if any tenderer is not present at the time fixed for opening the tenders, his tender may be summarily rejected without opening, giving the reasons.

9. The highest quoted tenderer shall deposit 25% of the tendered amount after evaluation of tenders on the date of tenders opening, failing which the E.M.D. paid by him will be forfeited and his tender will be rejected.

10. The acceptance of the offer shall be communicated to the successful tenderer.

11. The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance amount within 15 days from that date. In addition to the tender value the successful tenderer will also deposit such money for a value as determined by the Traffic Manager as Security Deposit which will be returned within a period of 3 months after successful completion of sale. However, no interest shall be paid by the Port on the deposit so made.

12. In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall, unless otherwise ordered, stand automatically revoked, and the monies deposited earlier shall be forfeited, and the vessel shall be resold at the risk of the tenderer whose tender was accepted. The order of the Traffic Manager in this regard shall be final and binding on the parties concerned.

13. If the vessel is not removed from the harbour for any reason within 30 days from the date of issuance of sale delivery order double the berth hire charges beyond the normal charges, as laid down in the Port's scale of Rates, shall be levied.

14. If the Purchaser of the vessel fails to remove the vessel even within 60 days from the date of sale delivery order after paying all Port rates, the Traffic Manager reserve the right to resell the said vessel at his discretion and the Purchaser shall have no right to question the same.

15. Under no circumstances, the Purchaser shall be permitted to dismantle or break the ship inside the harbour or within the Port limits, unless or otherwise it is specifically permitted to do so and the terms and conditions for the said permission shall be binding on the purchaser.

6. Liabilities of the Purchaser of the vessel:

1. On and from the date of acceptance of the tender all rates shall be to the Purchaser's account.

2. Upon acceptance of the tender, the Purchaser shall deposit, with the Port an amount representing 60 days Port rates as may be estimated by the Traffic Manager to be payable for such period.

3. Customs and excise duties, Sales tax, Local taxes, etc., shall be as applicable to the Purchaser's account and he should remit the amounts on account of such duties and taxes to the concerned authorities and produce the receipts for such payments before the clearance is granted to the vessel by the Port.

4. (a) Immediately after the acceptance of the tender the Purchaser shall make all arrangements for manning and maintenance of the vessel by a certified master, certified officers and certified Engineers with an adequate number of crew during the period the vessel is kept inside the harbour.

(b) In case of failure by the Purchaser in making necessary arrangements for manning and maintaining the vessel, the Port authorities may hire and employ proper persons for that purpose and all reasonable expenses incurred in this connection shall be recoverable from the Purchaser.

7. Application of sale proceeds:

1. The proceeds of every sale under these Regulations shall be applied in the manner mentioned in Section 63 of Major Port Trusts Act, 1963.

2. In case of any deficiency of the sale proceeds to satisfy the rates of Board, the Board shall have a right to recover the said deficit amount either by distraining any other vessel of the same owner and recover the same in the manner stipulated in these Regulations failing which the Board shall recover the same either under Section 131 of the Major Port Trusts Act, 1963 or in any other manner.

8. Interpretation :

In case of any doubt in interpretation of any of the provisions of these Regulations, the same shall be referred to the Chairman of the Borad whose decision shall be final and binding on the parties.

FORM—I

[See Regulation 4(1)]

To

The Master/Authorised Agents

m.v./S.S.

Sub : Non-payment of rates—Issue of Notice demanding immediate payment.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs.....as on..... towards the following rates payable under the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963/Regulations or orders made thereunder due to the Port Trust on or before.....1. .....2. ..... 3.....No steps have so far been taken by you as the Master of the vessel, or by the Agents, to pay rates to the Port as demanded towards afore, said rates. As on.....an amount of Rs..... is due from the vessel under your command.

2. Notice is hereby given to you for making the above payment in this seven days on receipt of this Notice, failing which provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 and/or the Regulations made thereunder will be invoked to distrain or arrest the vessel and the tackle, apporel and furniture belonging thereto, or any part thereof, and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under dis, traint or arrest, is paid.

Yours faithfully,

TRAFFIC MANAGER

Copy to : M/s. Owners of m.v.

FORM—II

[See Regulation 4 (5)]

To

The Master/Authorised Agent(s)

m.v./S.S.

Sub: SHIPPING—Non-payment of rates—Distrain order—Issue of.

Ref : My letter of even number dt.

Sir,

Please refer to my letter cited, Your were requested to pay a sum of Rs..... as on.....towards the Rates due to the Visakhapatnam Port Trust on or before..... No steps have so far been taken by you as master of the vessel or by the agents to pay the dues to the Visakhapatnam Port Trust as demanded on.... You are hereby notified that an approximate amount of Rs.....towards rates as on..... is due from the vessel under your command.

In view of the non-payment of the above rates due to the Visakhapatnam Board, I hereby pass orders in exercise of the powers given under the provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 and/or the Regulations framed thereunder that the vessel m.v.....is hereby distrained and will be kept under detention until the amount due to the Visakhapatnam Board together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is distrained and detained is paid.

Please also note that in case the above said amount and the cost of the distrain is not settled within 5 days from the date of distraint order (i.e.)..... I shall be contrained to sell the above vessel under the powers vested under section 64 of the said Act and/or the Regulations framed thereunder and the sale proceeds will be adjusted against the charges due to the Board including the cost of the sale of the vessel.

Yours faithfully,

TRAFFIC MANAGER

Copy to: M/s.

Owners of m.v.

FORM—III

[See Regulation 5(4)]

ADVERTISEMENT

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 Visakhapatnam Port Trust invite sealed tenders from the intended purchaser(s) for the sale of the vessel m.v..... on "as is where is" basis.

2. Brief particulars of the vessel are as follows:

Name of the vessel	.....
Year of Built	.....
G.R.T.	.....
N.R.T.	.....
Length	.....
Breadth	.....
Depth	.....

Deadweight	.....
Classification	.....
Engine	.....
B.H.P.	.....
L.D.T.	.....
Year of Built	.....
Yard	.....

3. Offers in double sealed covers are invited before.....hrs. On.....addressed to the Traffic Manager,.....Port Trust along with an Earnest Money Deposit of Rs.....(Rupees.....) by Bank Draft payable at.....in favour of ..... The tender should be submitted superscribing on the envelop TENDER FOR THE PURCHASE OF M.V.....

4. All tenders received after the due date and time will be summarily rejected.

5. The sealed tenders for the purchase of the vessel shall be opened on.....in the presence of Traffic Manager Visakhapatnam Port Trust in his office. The acceptance of the offer will be communicated to the successful tenderer.

6. The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount of the date of tender and 25% the amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance within 15 days from that date. No Bank Guarantee will be accepted. In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall unless otherwise ordered; stand automatically revoked and the Monies Deposited earlier i.e., Rs.....forfeited and the ship resold at the risk of cost of the tenderer, whose tender was accepted. Should the balance of sale consideration be not paid within the aforesaid time of 15 days from the acceptance of the tender, the sale shall stand automatically revoked and the monies deposited i. e. Rs.....be forfeited. The 50% amount already paid shall be retained to meet any shortfall or other exponses arising out of the said resale.

7. Customs, Excise, and Import Duty, Sales Tax, Local Taxes, etc, as applicable on "PURCHASER ACCOUNT".

8. The tenders will be opened on.....at..... in the presence of the Traffic Manager, Visakhapatnam Port Trust in his office and acceptance of any tender will be at the sole discretion of the Traffic Manager, Visakhapatnam Port Trust.

9. The ship should be removed from the Visakhapatnam Harbour within 30 days from the date of sale. During this time the ship should be kept manned by certified Master, certified Officers and certified Engineers plus an adequate number of crew. These arrangements should be made by the Purchaser.

10. The purchaser will have to pay all the rate from the date of sale of the vessel till the date of actual removal of the vessel from the harbour in accordance with the Major Port Trusts (Distraint or Arrest and sale of vessels) Regulations, 1988.

11. Under no circumstances, the purchaser will be permitted to dismantle the ship inside the harbour or within Port limits, unless or other wise it is specifically permitted to do so.

12. The ship which is lying at..... may be inspected by prior or appointment with the Traffic Manager from.....to..... and on the inspection it is deemed that the party inspected has got full knowledge about the vessel.

13. The Traffic Manager reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

TRAFFIC MANAGER
VISAKHAPTNAM PORT TRUST

Visakhapatnam.

Dt. 2nd June 1988

Y. PARDHASARADHI
SECRETARY
VISAKHAPATNAM PORT TRUST

2435 GI/88—2

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988